मुक० नेतराम V/S तेजसिंह वगैरा रेफरेन्स मु०न० 8/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
8/6/18	अभिभाषक उभयपक्ष उप०। अभिभाषक अप्रार्थी ने दिनांक 5/10/16 को प्रार्थी के अभिभाषक को यह सूचना दी थी कि अप्रार्थी संख्या 2 रतिराम व अप्रार्थी सं० 5 द्रोपती फौत हो चुकी है। इस पर अभिभाषक प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के कायम मुकाम की कार्यवाही के निर्देश दिये गये परन्तु अभिभाषक प्रार्थी ने दिनांक 5-10-16 से आदिनांक तक अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की है, जिसे एक वर्ष आठ माह से अधिक का समय हो चुका है परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही कायम मुकामान नहीं की गई है। और अब भी वह असमर्थ है। अतः यह प्रा० पत्र रेफरेन्स अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं करने एवं आदेश की पालना नहीं करने के कारण उक्त प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। चूंकि उक्त प्रकरण प्रा० पत्र धारा 82 LR Act के तहत पेश किया गया है जिसमें तहसीलदार धौलपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर जाँच करें। यदि आवश्यक समझे तो प्रा० पत्र पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Sd/- [प्रभुलसिंह यादव] अति० जिला कलक्टर धौलपुर	

Scanned by CamScanner